न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती रीना छिम्पा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 28/2014

1. कुलवंत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 58 एफ, तहसील श्रीकरणपुर।
2. परमजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 58 एफ, तहसील श्रीकरणपुर।
3. बलवीर कौर पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 58 एफ, तहसील श्रीकरणपुर।

--प्रार्थीगण--

बनाम

1. नत्था सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति जटसिख निवासी 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर।
2. जीत सिंह पुत्र चनन सिंह जाति जटसिख निवासी 58 एफ तहसील श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय--

दिनांक : 5/3/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 58 एफ के खाता संख्या 19 मे प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे भूमि दर्ज है। प्रार्थीगण के परदादा बधावा सिंह पुत्र सरवन सिंह को चक 58 एफ के मु0 न0 1, 3, 4 मे 38 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थी। प्रार्थीगण के परदादा बधावा सिंह पुत्र सरवन सिंह की वंशावली निम्न प्रकार है-

बधावा सिंह

पूर्ण सिंह (पुत्र)(फौत)	रतन सिंह (पुत्र)(फौत)	चनन सिंह (पुत्र)(फौत)	बहादर सिंह (पुत्र)(फौत)
	निर्मल सिंह (पुत्र)	जीत सिंह (पुत्र)	जीतो (पुत्री)
जोगेन्द्र सिंह (पुत्र)(फौत)			
अवतार सिंह (पुत्र)(फौत)	परमजीत सिंह (पुत्र)		नत्था सिंह (पुत्र)
रेशम सिंह (पुत्र)(फौत)	कुलवंत सिंह (पुत्र)		बलविन्द्र कौर (पुत्री)
बलविन्द्र सिंह (पुत्र)	कलविन्द्र कौर (पुत्री)		
	इन्द्रजीत कौर (पुत्री)		
	बलवीर कौर (पत्नी)		

प्रार्थीगण के परदादा ने अपने जीवनकाल मे ही अपनी भूमि का परिवार के सदस्यों मे बंटवारा कर दिनांक 05.04.1974 को उप पंजीयक श्रीकरणपुर के कार्यालय मे वसीयत तहरीर व तस्दीक करवायी गई है। मृतक बधावा सिंह की वसीयत के मुताबिक मु0 न0 3 के किला न0 1 ता 7 सालम सालम, किला न0 8 के 10 बिस्वा कुल 7 बीघा 10 बिस्वा चनन सिंह, मु0न0 3 के किला न0 1 के 10 बिस्वा, किला न0 9 ता 15 सालम सालम कुल 7 बीघा 10 बिस्वा बहादर सिंह, मु0 न0 1 के 4 बीघा 10 बिस्वा, मु0 न0 4 के किला न0 3 ता 5 सालम सालम कुल 7 बीघा 10 बिस्वा रतन सिंह को और मु0 न0 4 के किला न0 2 सालम, किला न0 6 ता 11 सालम सालम, किला न0 12 के 10 बिस्वा पूर्ण सिंह को और मु0 न0 4 के 10 बीघा 10 बिस्वा पोत्रो जोगेन्द्र सिंह, निर्मल सिंह, रेशम सिंह, अवतार सिंह को दी थी। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मृतक बधावा सिह की वसीयत के अनुसार बटवारा कर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण के हिस्से मे चक 58 एफ के खाता संख्या 19 के मु0न0 4 के किला न0 1, 2 सालम सालम, किला न0 3 के 10 बिस्वा, किला नं0 7 का 10 बिस्वा, किला न0 8 ता 12 सालम सालम, किला न0 13 का 10 बिस्वा, किला न0 19 का 10 बिस्वा, किला न0 20 सालम, कुल 10 बीघा सही भूमि हिस्सा मे आई है और प्रार्थीगण अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को मृतक बधावा सिंह की वसीयत के अनुसार अपने अपने हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

दर्ज करवाने बाबत कहा,अप्रार्थीगण टाल मटोल करते रहे और आज से लगभग एक माह पूर्व साफ इंकार हो गये। मृतक बधावा सिंह की वसीयत के मुताबिक अवतार सिंह व रेशम सिंह जो कि मृतक जितेन्द्र सिंह के साथ रहते थे व लाऔलाद फौत हो गये और उनके हिस्सा की आराजी प्रार्थीगण को प्राप्त हो गई है। सुविधा का संतुलन, राईट एवं टाईटल तथा प्रथम दृष्टय मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण चक 58 के खाता संख्या 19 के मु0 नं0 1,3,4 का बटवारा कर उनके हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि चक 58 एफ के खाता संख्या 19 के मु0न0 4 के किला न0 1, 2 सालम सालम, किला न0 3 के 10 बिस्वा, किला नं0 7 का 10 बिस्वा, किला न0 8 ता 12 सालम सालम, किला न0 13 का 10 बिस्वा, किला न0 19 का 10 बिस्वा, किला न0 20 सालम, कुल 10 बीघा नहरी भूमि को रहन बैय व वसीयत करने से निषेद्व रहे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिह चिम्मा उपस्थित आये व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार मद संख्या 1 अस्वीकार है। मद संख्या 2,3 स्वीकार है। मद संख्या 4 लाईलमी होने के कारण अस्वीकार है। मद संख्या 5 गलत व्यान होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण के परदादा के द्वारा अपने जीवनकाल मे दिनांक 05.04.1974 को कोई वसीयत नही करवाई थी अगर वसीयत करवाई होती तो आवश्यक रूप से अमल मे लाई जाती परन्तु आज तक वधावा सिह की भूमि बाबत कोई वसीयत पेश नही की गई। मद संख्या 6 गलत व्यान के कारण अस्वीकार है। जो वसीयत पेश की गई है वह अस्पष्ट संदेहपूर्ण व अस्पष्ट है। सन् 1974 मे वधावा सिह के नाम दर्ज भूमि गैरखातेदारी थी जिसकी कानूनन वसीयत नही की जा सकती अगर वसीयत की है तो वह विधि विरूद्व है। मद संख्या 7 गलत ब्यानी के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण किसी भी वसीयत के अनुसार प्रश्नगतः भूमि पर काबिज नही है। चक 58 एफ के खाता संख्या 19 के मु0न0 4 के किला न0 1, 2 सालम सालम, किला न0 3 के 10 बिस्वा, किला नं0 7 का 10 बिस्वा, किला न0 8 ता 12 सालम सालम, किला न0 13 का 10 बिस्वा, किला न0 19 का 10 बिस्वा, किला न0 20 सालम, कुल 10 बीघा नहरी भूमि प्रार्थीगण के हिस्से मे नही आई और न ही वह इस पर काबिज है क्योकि मु0 नं0 4 का किला नं0 1 वधावा सिह के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है इसलिये किला नं0 1 पर प्रार्थीगण का कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता। भूमि का गलत विवरण दर्ज किया गया है। भूमि वसीयत के आधार पर प्राप्त नही हुई। वधावा सिह की मृत्यु के बाद प्रश्नगतः भूमि वधावा सिह के पुत्रो बहादर सिह, पुर्ण सिह पौते निर्मल सिह पुत्र रतन सिह व चरण सिह के वारिस गुरदयाल सिह, जीत सिह व जीतो को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई जिसका अंकन जमाबंदी सम्वत 2045 मे किया हुआ है जो प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया गया है। इसी अनुसार आगामी जमाबदियो मे अंकन होता रहा जिस पर प्रार्थीगण ने कोई ऐतराज नही किया और ना इस इन्तकाल को निरस्त करवाने के लिये कोई कार्यवाही की। मद संख्या 8 गलत ब्यानी के कारण अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने किसी वसीयत के बारे मे अप्रार्थीगण के समक्ष कभी को जिकर नही किया। जिस वसीयत का जिकर प्रार्थना पत्र मे है वह वसीयत शुरू से ही अवैध व शून्य है। जिसके कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई कारण प्रार्थीगण को हासिल नही है। मद संख्या 9 गलत ब्यानी के कारण अस्वीकार है। प्रश्नगतः वसीयत के आधार पर भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज नही हुई। प्रश्नगतः विधि विरूद्व वसीयत के आधार पर अवतार सिह व रेशम सिह को कोई भूमि प्राप्त नही हुई और न ही अवतार सिह व रेशम सिह की मृत्यु के बाद भूमि प्रार्थीगण को प्राप्त हुई। सुविधा का सतुलन एवं राईट एण्ड टाईटल तथा प्रथम दृष्टय मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना नही पाया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया जाता है। अतिरिक्त कथन मे निवेदन किया कि मु0 नं0 4 के 10 बीघा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे होना गलत दर्ज है क्योकि प्रार्थी कुलवन्त

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीविजयनगर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीविजयनगर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

के नाम राजस्व रिकार्ड मे कोई भूमि दर्ज नही है। प्रार्थी संख्या 2 के नाम 0.122 हैक्टर तथा प्रार्थी 3 के नाम 1.395 हैक्टर इस प्रकार दोनो के नाम 1.517 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज जिसका वह बटवारा करवाकर किला वाईज अपने नाम दर्ज करवा सकते है। कुलवन्त सिह को प्रार्थना पेश करने का कोई हक हासिल नही है। प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यो पर विधि विरूद्ध पेश किया है जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीए मय खर्चा खारिज किया जावे।

जवाब पेश होने पर नकल वकील वादी को दिलवाई गई।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा चक 58 एफ के खाता संख्या 19 के मु0न0 4 के किला न0 1, 2 सालम सालम, किला न0 3 के 10 बिस्वा, किला नं0 7 का 10 बिस्वा, किला न0 8 ता 12 सालम सालम, किला न0 13 का 10 बिस्वा, किला न0 19 का 10 बिस्वा, किला न0 20 सालम, कुल 10 बीघा नहरी भूमि के संबंध मे मृतक वधावा सिह की वसीयत दिनांक 05.04.1974 की रूह से अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया है। अप्रार्थीगण के द्वारा पेश जवाब के अनुसार 1974 मे वधावा सिह के नाम जमीन गैर खातेदारी थी जिसकी कानूनन वसीयत नही की जा सकती। प्रार्थीगण के द्वारा पेश की गई जमाबंदियो मे जमाबंदी सम्वत 2036 वधावा सिह के नाम भूमि गैरखातेदार दर्ज है एवं मु0 नं0 4 का किला नं0 1 इस खाता मे दर्ज ही नही है। जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 19 मे प्रार्थीगण भी सहखातेदार है। प्रार्थीगण को वधावा सिह की वसीयत से कोई हक या अनुतोष प्राप्त होना है या नही यह मूल वाद मे साक्ष्य से तय होना है। पेश की गई वसीयत गैरखातेदारी भूमि के संबंध मे है। रिकार्डड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना विधिसम्मत नही है। धारा 212 आरटीए के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टय मामला, सुविधा का सतुलन एवं राईट एण्ड टाईटल प्रार्थी के पक्ष मे बनना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशूमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 5/3/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner